राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासेन कॉम्पलैक्स, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS EXCISE & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACEN Complex, Sector 29, Faridabad-121008
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

फा.सं. II(11)55/2016-नासेन

दिनांक : 05/09/2016

विषय: **दिनांक 6 तथा 7 अक्तूबर, 2016 को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के आयुक्तों/ अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों तथा समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए "सतर्कता मामलों" पर दो दिवसीय पाठ्यक्रम के आयोजन - से सम्बंधित ।**

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक **6 तथा 7 अक्तूबर, 2016** को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के आयुक्तों/ अपर/ संयुक्त/ उप/ सहायक आयुक्तों के लिए **"सतर्कता मामलों"** पर **विशेषीकृत पाठ्यक्रम** का आयोजन कर रही है।

2. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने जोन/चार्ज से **आयुक्त/अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त रैंक के उपयुक्त अधिकारियों** को नामांकित करने की कृपा करें। किसी भी ऐसे अधिकारी को इस प्रशिक्षण हेतु नामित न किया जाए, जिसने पिछले छ: महीनों के दौरान नासेन फरीदाबाद द्वारा आयोजित किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रखा हो ।

3. नामांकन कृपया फैक्स/स्पीड-पोस्ट/ई-मेल द्वारा श्री मनोज लकरा, सहायक निदेशक नासेन फरीदाबाद को दिनांक 3 अक्तूबर, **2016** तक भिजवा दिए जाएँ (दूरभाष सं. 0129 - 2504649, फैक्स सं. 0129 - 2504632, ई-मेल nacenfbd.ist@gmail.com । नामांकित अधिकारियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर एवम् ई-मेल पते भी नामांकन पत्रों में दिए जाएँ ताकि सुविधानुसार उनसे सम्पर्क/सम्प्रेषण किया जा सके। दिनांक 03/10/2016 के बाद प्राप्त नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएँगे ।

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस अधिकारी को नामांकित किया जाए वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रिपोर्ट करे, चूँकि अंतिम क्षणों में नामांकनों को रद्द करने/वापस लेने से प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएँ हो सकती हैं ।

5. यह भी उल्लेख किया जाता है कि जो प्रतिभागी कैम्पस में ठहरना चाहते हैं उनके लिए सीमित होस्टल सुविधा उपलब्ध है । प्रतिभागियों के लिए, होस्टल एवं मैस प्रभार के लिए (कुल मिलाकर) लगभग 650/-रुपये होंगे । इसमें कमरे का किराया 100/- रुपये, नाश्ता + सुबह की चाय 100/- रुपये, रात्रिभोज हेतु 200/- रुपये एवं दोपहर के भोजन और चाय/स्नेक्स (दिन में दो बार) हेतु 250/- रुपये शामिल हैं, जिनका भुगतान पंजीकरण के समय अलग से किया जाएगा । यदि कैम्पस में आवास की आवश्यकता हो, तो इसकी सूचना होस्टल के प्रभारी अधीक्षक को दूरभाष सं. 0129 - 2500205

(एक्सटेंसन-730) पर कम से कम 7 दिन पहले दी जाए । यदि कैम्पस के छात्रावास मे ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए अनुरोध अपर निदेशक (प्रशासन) नासेन को ई-मेल nacengangotri@gmail.com पर भेजा जाए ।

6. यदि प्रतिभागी किसी नजदीकी होटल में ठहरने के इच्छुक हों तो उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं; **'के' (K) होटल, सेक्टर 31, फरीदाबाद** (दूरभाष सं. 0129-4292777, एक्सटेंशन-101, मोबाइल-8527999752, 8527999757), **होटल गोल्ड फिन्च** (दूरभाष सं. 9560795251) एवम् **होटल दि एट्रियम** (दूरभाष सं. 9999899904) । प्रतिभागी आवास हेतु उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

7. नामांकित अधिकारियों को कृपया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अनिवार्य रुप से दिनांक **06/10/2016** को प्रात: 09.30 बजे सैक्टर-29, नजदीक पुलिस लाईन, फरीदाबाद स्थित अकादमी पर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए । इस अकादमी का नजदीकी मैट्रो स्टेशन वॉयलेट लाईन पर सैक्टर-28 है । चूँकि समापन विदाई समारोह दिनांक **07/10/2016 को सॉय 6.00 बजे तक जारी रह सकता है** अत: अधिकारियों को अपनी वापसी की यात्रा को तदनुसार ही तय करने हेतु सलाह दी जाए ।

भवदीय,

संजय शरण

(संजय शरण)
अपर निदेशक
नासेन, फरीदाबाद

सेवा में,

1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी) ।
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
4. मुख्य आयुक्त, एल.टी.यू. (सभी) ।
5. महानिदेशक (के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड के अधीन सभी महानिदेशालय) ।
6. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सेसटेट, नई दिल्ली ।
7. सभी सीमा शुल्क आयुक्त ।
8. सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
9. सभी लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के आयुक्त ।
10. सभी सेवाकर आयुक्त ।
11. सभी आयुक्त (एल.टी.यू.) ।